न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—6/2019/225 (2019/00006)

1. रामकिशन पुत्र स्व0 लादू, जाति जाट, निवासी अरांई, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती भंवरी पत्नि स्व0 रामगोपाल,
2. सुरेश पुत्र स्व0 रामगोपाल,
3. जगदीश पुत्र स्व0 रामगोपाल,
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासी अंराई, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती प्रेम पत्नि ओमप्रकाश पुत्री स्व0 रामगोपाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी मोराझड़ी, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती सुनिता पत्नि रामप्रसाद पुत्री स्व0 रामगोपाल, जाति ब्राहम्ण, नि0 मुण्डोती, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ, जिला अजमेर ।
7. बैंक ऑफ बड़ौदा अरांई, जरिये शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अंराई तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 24.12.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 199/2011.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री शांति प्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3.
3. श्री नरोत्तम शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5.
4. रेस्पो0 संख्या 7 अनुपस्थित ।
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 6.

निर्णय

दिनांकः— 21.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 24.12.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. <u>प्रार्थीगण/रेस्पो0</u> संख्या 1 लगायत 5 ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट के पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 के ससुर व प्रार्थी संख्या 2 से 5 के दादा घनश्याम पुत्र नन्दराम की खातेदारी की ग्राम अरांई, तहसील अंराई में स्थित है जिसके खसरा नंबर 2203 से 2208, 2219 से 2222 तक कुल रकबा 13—2—00 बीघा है जिसके हाल खसरा नंबर 1872 रकबा 12—19—00 बीघा, हाल खसरा नंबर 1873 रकबा 00—03—00 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13—02—00 बीघा कायम होकर संवत् 2006 में घनश्याम के नाम राजस्व

अभिलेख में दर्ज थी । घनश्याम की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र रामगोपाल के नाम बहैसियत उत्तराधिकारी राजस्व अभिलेख खाते में दर्ज होकर संवत् 2019 तक यथावत् दर्ज होकर वादीगण के कब्जे काश्त में है जिसके हाल खसरा नंबर 1872 व 1873 है । प्रार्थी संख्या 1 के पति प्रार्थी संख्या 2 से 5 के पिता रामगोपाल की मृत्यु दिनांक 28.9.2007 को हो चुकी है । वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है । अतः स्व0 रामगोपाल की मृत्यु पश्चात् रामगोपाल के वारिसान के नाम अंकन होना आवश्यक है । रामगोपाल के जीवनकाल में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगत कर नाजायज रूप से विधि विरूद्ध उपरोक्त वर्णित आराजियात अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्व लादू पुत्र रामलाल जाट, निवासी अरांई के नाम दर्ज कर दी गई जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रकरण संख्या 24/60 दिनांक 18.7.1960 को रामगोपाल के पक्ष में निर्णित किया गया है जिससे रामगोपाल को खातेदार अधिकार होना अंकित किया है । प्रार्थीगण द्वारा समय–समय पर भूमिधारक तहसीलदार को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय की क्रियान्विति हेतु निवेदन किया गया है । अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रिकार्ड की आड़ में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है तथा वादग्रस्त आराजियात को वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर रहन रखने की धमकियां दे रहा है । अतः वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 24.12.2018 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 का निर्णय नोन–स्पीकिंग कारण रहित निर्णय है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने के लिए मुख्य रूप से उसके वैधानिक घटकों जिसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिये था लेकिन अधी0न्याया0 ने उक्त वैधानिक घटकों को नजरअंदाज कर रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । विवादित आराजी के खातेदार लादू वल्द रामलाल थे जो अपीलांट के पिता है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् विरासत नामांतकरण संख्या 2288 दिनांक 18.9.2007 को अपीलांट एवं उसकी बहनें रामनारायणी, रामकन्या व भूली के नाम पर पारित किया गया तत्पश्चात् अपीलांट की बहनों ने रिजीज डीड दिनांक 29.11.2007 को निष्पादित कर दी । उक्त हकत्याग के आधार पर उनके हिस्से का नामांतकरण संख्या 2321 दिनांक 20.12.2007 को अपीलांट के पक्ष में पारित किया गया है । इस प्रकार अपीलांट विवादित आराजी का एकमात्र खातेदार एवं काश्तकार है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलांट को पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विवादित आराजी को प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पिता है रामगोपाल ने अपीलांट के पिता लादू को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था जिसके आधार पर लादू के नाम खातेदारी दर्ज की गई है ।

रामगोपाल का स्वर्गवास दिनांक 28.9.2007 को हुआ, जिसने अपने जीवनकाल में कभी भी चुनौती नहीं दी अर्थात् विवादित आराजी बैचान करने के 47 वर्षो तक लादू जीवित रहा तथा उसके स्वर्गवास के बाद रेस्पो0 के मन में बदनियति आने से वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । विवादित आराजी पर पिछले 50 वर्षो से अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । सन् 1959 में विक्रय करने के बाद रामगोपाल के नाम कभी भी खातेदारी दर्ज नही रही है एव ना ही कब्जा काश्त रहा है इसलिये उसके वारिसान के नाम विरासत दर्ज किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित भूमि प्रार्थी संख्या 1 के ससुर व प्रार्थी संख्या 2 से 5 के दादा घनश्याम पुत्र नन्दराम की खातेदारी की ग्राम अरांई, तहसील अंराई में स्थित है जिसके खसरा नंबर 2203 से 2208, 2219 से 2222 तक कुल रकबा 13–2–00 बीघा है जिसके हाल खसरा नंबर 1872 रकबा 12–19–00 बीघा, हाल खसरा नंबर 1873 रकबा 00–03–00 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 13–02–00 बीघा कायम होकर संवत् 2006 में घनश्याम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी । घनश्याम की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र रामगोपाल के नाम बहैसियत उत्तराधिकारी राजस्व अभिलेख खाते में दर्ज होकर संवत् 2019 तक यथावत् दर्ज होकर वादीगण के कब्जे काश्त में है । अपीलांट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगती करके विवादित आराजियात अपने नाम दर्ज करवा ली है । विवादित भूमि के संबंध में मान0राजस्व मण्डल में प्रकरण संख्या 24/60 चला जिसमें दिनांक 18.7.1960 को निर्णय पारित किया गया जो रेस्पो0 के पिता रामगोपाल के पक्ष में पारित हुआ था । अपीलांट जिस विक्रय पत्र की बात कह रहे है वह दो रूपये के स्टाम्प पर अपंजीकृत है जिसकी विधिनुसार कोई मान्यता नही है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2005 पार्ट–1 पेज 1429, आर0आर0डी0 1993 पेज 415, आर0आर0टी0 2001 पार्ट–1 पेज 244 हाई कोर्ट, आर0आर0टी0 2008 पेज 151 हाई कोर्ट, आर0आर0टी0 2009 पार्ट–1 पेज 677 सुप्रीम कोर्ट, आर0आर0डी0 1997 पेज 68 हाई कोर्ट, आर0एल0डब्ल्यू0 2007 पार्ट–1 पेज 443, आर0आर0डी0 1992 पेज 421, 414, 648, आर0आर0डी0 1998 पेज 487, आर0आर0डी0 1981 पेज 173 एवं आर0आर0डी0 2002 पेज 582 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज स्व0 घनश्याम व स्व0 रामलाल की खातेदारी में दर्ज थी । रिकार्डेड खातेदार की मृत्यु उपरांत विवादित आराजियात जरिये विरासत उनके विधिक वारिसान रेस्पो0 के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु नहीं की गई । माननीय राजस्व मण्डल के न्यायालय में चले प्रकरण संख्या 24/60 में भी माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 18.7.1960 को रामगोपाल के पक्ष में निर्णय पारित किया है । मान0मण्डल के उक्त निर्णय की पालना बाबत् भी प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा तहसीलदार, किशनगढ़ को निर्णय क्रियान्विति हेतु निवेदन किया गया है । जहां तक

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथाकथित अपंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1959 का प्रश्न है यह दो रूपये के स्टाम्प पर होकर अपंजीकृत होकर अमान्य है । उक्त तथाकथित विक्रय पत्र से अपीलांट को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इन सब तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में बाद साक्ष्य तनकीयात कायम कर किया जावेगा किन्तु विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पूर्वज होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के बजाय रेस्पो0 के पक्ष में पाया जाता है तथा वाद के विचाराधीन रहते यदि विवादित आराजियात का अन्यंत्र हस्तातंरण, बैचान इत्यादि हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी अपीलांट के बजाय रेस्पो0 को होने की संभावना है । विद्वान अधी0न्याया0 ने इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर वाद के निर्णय तक अपीलांट को विवादित आराजियात को रहन, बय, बैचान, हस्तातंरण, खुर्द–बुर्द नहीं करने तथा प्रार्थीगण/रेस्पो0 को बेदखल करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2018 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर